



# झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

## आवंटन पत्र

प्रेषक,

सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।

सेवा में,

श्री / श्रीमती

पुत्र / पत्नी

निवासी-

पत्रांक /जे.डी.ए./मा0मु0श0वि0यो0,(फेज-1)2025-26

दिनांक: /

/2025

**विषय:-** मा0 मुख्यामंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना (न्यू झाँसी) फेज-1 में भूखंडो के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

मा0 मुख्यामंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना (न्यू झाँसी) फेज-1, झाँसी के अन्तर्गत भूखंडो को क्रय करने हेतु, नगद भुगतान पर आपके द्वारा रु. नगद जमा कर आवेदन किया गया था। आपका प्रार्थना पत्र प्राधिकरण कार्यालय में पंजीकरण संख्या ..... पर पंजीकृत है।

दिनांक- को सम्पन्न हुए लाटरी ड्रा में आपके पक्ष में भूखण्ड संख्या- ..... आवंटित किया गया है। भूखण्ड का अनुमानित मूल्य मानक माप के अनुसार रु0.. ..... है। आपको उक्त भूखंडो की निम्न विवरण के अनुसार झाँसी विकास प्राधिकरण के पक्ष में खाता संख्या ..... SBI शाखा-SME सिविल लाईन, झाँसी में जमा करनी होगी :-

| क्रम सं० | विवरण  | धनराशि (रु०) | देय तिथि       |
|----------|--|--------------|----------------|
| 1-       | क- भूमि मूल्य<br>ख- आवेदन धनराशि<br>ग- अवशेष धनराशि (A-B)<br>घ- 5 प्रतिशत छूट (नगद पर)<br>अवशेष देय धनराशि (C-D) |              | तक जमा की जाये |

शर्तें:-

1. अन्तिम रूप से देय धनराशि रजिस्ट्री के पूर्व जमा करनी होगी। समय पर धनराशि जमा न करने की स्थिति में डिफाल्ट अवधि में 13 प्रतिशत साधारण ब्याज के अतिरिक्त 03 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा। आवंटन निरस्तीकरण की दशा में प्राधिकरण में जमा धनराशि से 10 प्रतिशत कटौती कर ली जायेगी एवं अवशेष राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2. भूखंडो का आकार घट-बढ़ सकता है जिस पर आवंटी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। एवं चिन्हांकन के दौरान भूखण्ड की भौतिक स्थिति आंशिक/पूण रूप से परिवर्तित हो सकती है भूखण्डों की मौके पर माप के अनुसार ही भुगतान देय होगा।
3. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण पंच निर्णय हेतु उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण को संदर्भित किया जायेगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा जो उभय पक्षों पर मान्य होगा।
4. कार्नर हेतु भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत, 18 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़क हेतु 10 प्रतिशत व पार्क फेसिंग हेतु 5 प्रतिशत तथा तीनों की दशा में 20 प्रतिशत अतिरिक्त जमा करना होगा।
5. पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये नियम व शर्ते उभयपक्षों पर मान्य एवं बाध्यकारी होगी।

सचिव  
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।